

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 723]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 2015/अग्राहायण 3, 1937

No. 723]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 2015/AGRAHAYANA 3, 1937

कृषि एवं किसान विकास मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 895(अ).—तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 24 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः:-

तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 में अनुबंध (तटवर्ती जलकृषि को विनियमित करने संबंधी दिशा निर्देश), के पैराग्राफ 7.0 में, उप-पैराग्राफ 7.1 के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैराग्राफ रखा जाए, नामतः :-

“7.1 अधिनियम में यथापरिभाषित तटवर्ती क्षेत्रों में सभी झींगा अंडज उत्पत्तिशालाओं को तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत कराने की जरूरत होगी।”

[फा. सं. 33036/5/2005-मा.(टी-2)]

आदित्य कुमार जोशी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखंड (i), में सं. सा.का.नि. 740(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सं. सा.का.नि. 302 (अ.), तारीख 30 अप्रैल, 2009, सा.का.नि. 914(अ.), तारीख 18 दिसम्बर, 2009, सा.का.नि. 280(अ.), तारीख 23 मार्च, 2012, सा.का.नि. 695(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2012, सा.का.नि. 64(अ), तारीख 28 जनवरी, 2015 तथा सा.का.नि. 100 (अ), तारीख 16 फरवरी, 2015 के द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE**(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd November, 2015

G.S.R. 895(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 24 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following further amendment to the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005, namely:-

In the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005, in the Annexure (Guidelines for Regulating Coastal Aquaculture), in paragraph 7.0, for sub-paragraph 7.1, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“7.1 All shrimp hatcheries in the coastal areas as defined in the Act need to be registered by the Coastal Aquaculture Authority.”.

[F.No.33036/5/2005-Fy (T-2)]

ADITYA KUMAR JOSHI, Jt. Secy.

Note. -The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 740 (E), dated the 22nd December, 2005 and subsequently amended vide number G.S.R. 302 (E), dated the 30th April, 2009, G.S.R. 914 (E), dated the 18th December, 2009, G.S.R. 280 (E), dated the 23rd March, 2012, G.S.R. 695(E), dated 14th September, 2012, G.S.R. 64(E), dated the 28th January, 2015 and G.S.R. 100(E), dated the 16th February, 2015.